COURT FEE 4 Rs. भारत INDIA
COURT FEE भारत INDIA रुपया ५० पैसे RUPEE 50 PAISE
COURT FEE भारत INDIA १ रुपया ५० पैसे 1 RUPEE 50 PAISE
COURT FEE भारत INDIA ७५ पैसे 75 PAISE

111

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० १९५ पुनरीक्षण RN/11-3/ /96/198

मुलदास पुत्र आरीलाल लोधी
निवासी ग्राम बमोली तहसील पवई
जिला पन्ना ------ आवेदक

विरुद्ध

बिट्टीबाई पुत्री युधिष्ठिर लोधी
निवासी ग्राम बमोली तहसील पवई
जिला पन्ना ------ अनावेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

अपर बन्दोबस्त आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा प्रकरण क्रमांक १-अ/९२-९३ में पारित आदेश दिनांक ३०-६-९५ के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा ५० भू राजस्व संहिता १९५९

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है :-

(१) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश अनुचित एवं अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(२) यह कि अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का गुणदोषों पर निराकरण न करने में गंभीर भूल की है ।

(३) यह कि व्यवहार न्यायालय के जिन आदेशों को आधार बनाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण को समाप्त किया गया है वह मात्र अन्तरिम आदेशों से सम्बन्धित हैं उनसे विवाद का अन्तिम निराकरण नहीं होता है ।

(४) यह कि अपर बन्दोबस्त आयुक्त ने मात्र प्रकरण समाप्त करने का आदेश देने में गंभीर भूल की है । व्यवहार न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण

---- 2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – आर.एन./11–3/आर./964/95 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1–अ/92–93 में पारित आदेश दिनांक 30–6–95 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना आदेश पारित किया है । अधीनरस्थ न्यायांलय को आवेदक द्वारा अपील में उठाये गये आधारों पर प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति है । प्रकरण में सहमति के आधार पर बटवारा किया गया था इस कारण अनावेदक को अपील करने का अधिकार नहीं था । 4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है । 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि विद्वान आयुक्त ने व्यवहार न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11–3–93 को दिए गए यथास्थिति के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को समाप्त किया गया है । व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश	

अप. नि/11-3/आर/964/95

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की अद्यतन स्थिति क्या है इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	